

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी- राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :- 288/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2023/430
प्रार्थी बनानम विप्राथी

बालकाराम पुत्र हराराम

जाति भील निवासी सिणली

तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

1 कालीदेवी पत्नी गोरखाराम जाति भील
निवासी सिमालिका तहसील पचपदरा
2 राजस्थान सरकार जलिय तहसीलदार
पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

1. श्री उम्मेदसिंह चंपावत, अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्राथी एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 24.06.2024

1. संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तिलवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 683/112 क्षेत्रफल 1.8616 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्राथीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्राथीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। अतः प्रार्थी द्वारा ग्राम तिलवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 683/112 क्षेत्रफल 1.8616 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्राथीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्राथीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्राथी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए गए। विप्राथीगण के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तिलवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 683/112 क्षेत्रफल 1.8616 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्राथी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्राथीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तिलवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 683/112 क्षेत्रफल 1.8616 हैक्टेयर भूमि की नेखमवन्दी के आदेश किए जावे।

4. हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम तिलवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 683/112 क्षेत्रफल 1.8616 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्ड खातेदार है, और रिकार्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमवन्दी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते हैं, जिसके अनुसार :-

धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए जायेंगे:

1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिससे प्रतीत होता हो कि हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद हो। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिक स्वीकार किया जाना

संगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:-

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम तिलवाड़ा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 683/112 क्षेत्रफल 1.8616 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश कार्यवाही विधिनुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।






(राजेश कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24.6.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी

(S.D.O.) बालोतरा